CCI NG 3.7 Product: NBTLucknowBS PubDate: 30-06-2026 Zone: Lucknow Edition: 1 Page: NBTL11 User: cci Time: 06-30-2026 00:33 Color:

छात्राओं से दुर्व्यवहार के आरोप में असिस्टेंट प्रफेसर निलंबित

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : संतकबीर नगर स्थित राजकीय महाविद्यालय, बराखाल के असिस्टेंट प्रफेसर (इतिहास) डॉ.दिलीप कुमार को छात्राओं की शिकायतों के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। महाविद्यालय की छात्राओं ने डॉ.दिलीप कुमार पर अनुचित और अशोभनीय व्यवहार, यौन उत्पीड़न, पद के दुरुपयोग तथा राजकीय सेवक के अनुरूप आचरण न करने के आरोप लगाए थे।

संत कबीर नगर का मामला, जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई

आरोप के आधार पर शासन ने विशेष सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति ने 23 जून को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी। रिपोर्ट में मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपों को प्रथम दृष्टया सही और विश्वसनीय माना गया। समिति ने पाया कि छात्राओं के प्रति अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के प्रयास, मोबाइल नंबर प्राप्त करने, अनावश्यक बातचीत करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने संबंधी आरोप सही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षक का आचरण सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ है। अगर वह पद पर बने रहे तो साक्ष्य और जांच भी प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए कार्रवाई जरूरी है। समिति की संस्तुति पर दिलीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

अब दोहरे लाइसेंस से मिलेगी मुक्ति, कारोबार आसान होगा

डिरेगुलेशन 2.0 को लागू करने की कवायद तेज, नियमों में ढील बढ़ेगी

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

प्रदेश सरकार व्यवसायों के लिए दोहरे लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने पर विचार कर रही है। इससे उद्यमियों को एक ही गतिविधि के लिए अलग-अलग विभागों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कारोबार शुरू करने व संचालन की प्रक्रिया अधिक सरल हो सकेगी। इससे उद्योगों, व्यापारियों और निवेशकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और विभागीय जटिलताओं से राहत मिलेगी। सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 'अनुपालन न्यूनीकरण एवं विनियमन शिथिलीकरण 2025' (कम्प्लायंस रिडक्शन ऐंड डिरेगुलेशन) की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि डिरेगुलेशन 2.0 के जरिए उद्योग स्थापना की प्रक्रिया तेज होगी, निवेश आकर्षित होगा और एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में व्यवसायों के लिए डूयूल लाइसेंसिंग खत्म करने, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों को उदार बनाने और लीगल मेट्रोलॉजी से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाने के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया। इन कदमों से कारोबारियों को एक ही कार्य के लिए कई विभागों से अनुमति लेने की आवश्यकता कम होगी और समय व लागत दोनों की बचत होगी।

यूपीसीडा होगी एकल नोडल एजेंसी

बैठक में भूमि उपयोग नियमों को सरल बनाने, औद्योगिक क्लस्टरों में भूमि के बेहतर उपयोग, निर्माण अनुमति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अन्निशमन मानकों को वैश्विक स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाने पर भी चर्चा हुई। यह भी तय हुआ कि राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)को औद्योगिक क्लस्टरों में एकल नोडल एजेंसी बनाया जाए। एमएसएमई क्षेत्र को राहत देने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन आधारित सुविधाएं देने और अनावश्यक निरीक्षणों से छूट प्रदान करने, बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया तेज करने और सिंगल विंडो सिस्टम के टर्नअराउंड टाइम को घटाने के भी निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि पर्यावरण मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने के लिए स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की बैठकें नियमित तौर पर हों।

हेल्थ सेक्टर में लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल होगी

डिरेगुलेशन 2.0 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी नियमों को और आसान बनाया जाएगा। पर्यटन के लिए सस्ता स्टे बनाने, निजी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भूमि उपलब्धता के मानक व्यवहारिक किए जाएंगे। वहीं, निजी क्षेत्र में अस्पतालों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी आसान बनाई जाएगी। एंडोमेंट फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ शर्तों में भी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट और नॉन-फॉरेस्ट भूमि का लैंड बैंक तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग प्रस्तावों को अध्ययन कर उसे जल्द लागू करें। जिन प्रस्तावों को तत्काल लागू करना संभव नहीं है, उनके कारण एक सप्ताह के भीतर इन्वेस्ट यूपी को बताए जाएं।

यूपी में कल से रोजगार को नई गति देगी वीबी-जी राम जी योजना

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : यूपी के साथ पूरे देश में एक जुलाई से विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन योजना (वीबी-जी राम जी योजना) ग्रामीण रोजगार को गति देने के लिए मनरेगा का स्थान ले लेगी। यूपी में इसे लागू करने की मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मिल गई है। इसके साथ ही शासन ने इस संशोधित नए कानून को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। उधर, ग्राम्य विकास विभाग ने वीबी जी राम जी योजना लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है।

यूपी में इसे लागू करने की कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मिली मंजूरी

चार बिंदुओं पर फोकस : जी राम जी कानून में चार चीजों पर विशेष फोकस किया गया है। इनमें पहला है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा, मौसम की मार को कम करने के लिए स्पेशल काम करना। तीसरा, जीविका से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर और चौथा है पानी से जुड़े काम कर जल संचयन करना। मनरेगा को संशोधित कर बनाए गए वीबी-जी राम जी कानून में प्रावधान किया गया है कि फसलों की कटाई और बुआई के समय (साल में 60 दिन) इस योजना के तहत कोई सरकारी काम नहीं होगा।

100 दिन के बजाए 125 दिन काम : जी राम जी ऐक्ट को मनरेगा की तुलना में अपग्रेड किया गया है और पहले की कमियों में सुधार कर उसे लागू किया गया है। मनरेगा में ग्रामीण परिवारों को सौ दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती थी, जिसे जी आर जी में बढ़ा कर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों की ज्यादा आय हो सकेगी। नए ऐक्ट में यह सुनिश्चित होता कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। अगर किसी मजदूर को 125 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

वेंडर रजिस्ट्रेशन पर सख्ती, पारिवारिक फर्मों पर प्रतिबंध : मनरेगा की तहत अब वीबी-जी रामजी योजना के तहत होने वाले कार्यों में मैटेरियल, ईंधन, स्टेशनरी आदि की आपूर्ति करने वाली फर्मों के संचालक अब विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार नहीं होंगी। जी-राम जी योजना में वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए शासन की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन ने वी बी-जी राम जी योजना के तहत वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड फर्मों और कंपनियों की पृष्ठभूमि की पुनः गहन जांच के भी आदेश दिए हैं।

राजस्व के मामलों का समय से हो निस्तारण: सीएम योगी

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को सभी प्रकरणों का तय समयसीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान के बाद पीड़ित पक्ष से संपर्क कर उनकी संतुष्टि की भी जानकारी ली जाए। राजस्व से जुड़े मामलों में समयबद्ध हल निकाले।

सीएम ने जनता दर्शन में दिए निर्देश, कहा- अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करें

सीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकार अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने राजस्व मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण की आवश्यकता बताते हुए कहा कि निर्णय में देरी का सबसे अधिक असर गरीब और जरूरतमंद लोगों पर पड़ता है। राजस्व अधिकारी नियमित तौर पर कोर्ट में बैठें और सुनवाई करें। जनता को समय पर न्याय और राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अनुरूप राजस्व विभाग के अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करें।

स्कूलों में ईको क्लब बनेंगे, बजट जारी

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : प्रदेश के बेसिक स्कूलों में में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'ईको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ' कार्यक्रम संचालित होगा। इसके लिए शासन ने 65.64 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। हर स्कूल को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे।

प्रधानाध्यापक होंगे ईको के संरक्षक, किचन गार्डन, कम्पोस्ट निर्माण किया जाएगा

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिला और खंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूलों में ईको क्लब का गठन किया जाए प्रधानाध्यापक संरक्षक और एक शिक्षक प्रभारी होंगे। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। धनराशि का उपयोग पौधरोपण, किचन गार्डन, कम्पोस्ट निर्माण, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षण सामग्री, स्टेशनरी आदि गतिविधियों पर किया जाएगा।

कांशीराम के सहारे नई पीढ़ी को बसपा से जोड़ने की मुहिम

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी अब नई पीढ़ी को अपने आंदोलन और विचारधारा से जोड़ने की कवायद में जुट गई है। पार्टी ने प्रदेशभर के जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में छोटी-छोटी बैठकें शुरू की हैं। इन बैठकों में खास तौर पर दलित समाज के युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को बसपा संस्थापक कांशीराम और डॉ.भीमराव आंबेडकर के संघर्ष से रूबरू करवाया जा रहा है।

■ विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा स्तर पर तेज हुईं छोटी बैठकें

■ एलईडी और प्रॉजेक्टर पर सुनाए जा रहे कांशीराम के भाषण

इंदु चौधरी ने बहुजन समाज की बैठक आयोजित की। बैठक में प्रोजेक्टर की मदद से एक मकान की दीवार को स्क्रीन की तरह इस्तेमाल करते हुए उसपर डॉ. भीमराव आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के पुराने भाषण सुनाए गए। ऐसा ही प्रयोग आजमगढ़ समेत कई विधानसभाओं में पार्टी के नेता कर रहे हैं। चुनाव से पहले संगठन की कोशिश है कि बहुजन आंदोलन के इतिहास और बसपा की वैचारिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। माना जा रहा है कि यह अभियान पार्टी के कोर वोट बैंक, खासकर दलित युवाओं, को फिर से सक्रिय करने की रणनीति का हिस्सा है।

प्राधिकरणों में ऑनलाइन रजिस्ट्री पर रोक: रवींद्र

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

राज्य सरकार ने प्रदेश में अधिवक्ताओं और डीड राइटर्स के भारी विरोध के बाद विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद को ऑनलाइन रजिस्ट्री की दी गई सुविधा खत्म कर दी है। स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने 4 जून को जारी ई-पंजीकरण मॉड्यूल संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया है।

शासन ने विरोध के बाद चार जून को जारी आदेश किया रद्द

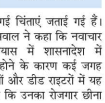

रवींद्र जायसवाल

'अधिवक्ताओं और डीड राइटरों को हुआ भ्रम'

राज्यमंत्री ने कहा कि स्टांप विभाग द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नवाचार का प्रयास किया गया था। इसके लिए चार जून को ई-पंजीकरण मॉड्यूल के व्यापक प्रचार-प्रसार व उसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किया गया था। अधिवक्ताओं व डीड राइटर्स द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं जताई गई हैं। रवींद्र जायसवाल ने कहा कि नवाचार के इस प्रयास में शासनादेश में स्पष्टता न होने के कारण कई जगह अधिवक्ताओं और डीड राइटरों में यह भ्रम हो गया कि उनका रोजगार छीना जा रहा है।

इस भ्रम को दूर करने तथा सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 4 जून 2026 को जारी शासनादेश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा आगे भी सभी पक्षों से संवाद कर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

51 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग अधीक्षक कहीं नहीं

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : यूपी में 51 सरकारी मेडिकल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी नर्सिंग अधीक्षक नहीं है। जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसके 39 पद हैं। उप नर्सिंग अधीक्षक के 27 पद हैं, लेकिन यह सभी खाली हैं। सहायक नर्सिंग अधीक्षक के 88 पदों पर एक भी तैनाती नहीं है। यही नहीं, नर्सिंग अफसर के 8144 पदों की तुलना में केवल 1577 नर्सिंग अफसरों की तैनाती है।

उप राजकीय नर्सेज संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी, मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के 81% खाली पदों पर जल्द भर्ती की मांग

चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग संवर्ग की अनदेखी का यही हाल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में भी है। यहां मुख्य नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक और उप नर्सिंग अधीक्षक के पद खाली पड़े हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उप नर्सिंग अधीक्षक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक और सीनियर नर्सिंग अफसर के पद साल 2020 की तुलना में घट गए हैं। उप राजकीय नर्सेज संघ की सोमवार को हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम और डिप्टी सीएम को ज्ञापन भेजकर खाली पदों पर भर्ती और खत्म किए गए पदों को दोबारा बहाल करने की मांग की है। संघ के महामंत्री अशोक कुमार के मुताबिक ऐसा न हुआ तो पहले काली पट्टी बांधकर पूरे प्रदेश में सांकेतिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होगा और उसके बाद हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। संघ की अध्यक्ष शर्ली भंडारी के मुताबिक फरवरी 2026 को प्रमुख सचिव की तरफ से आदेश जारी हुआ था जिसमें पदोन्नति की कार्यवाही 15 दिन में पूरी करने, अस्पतालों में पालनाघर (क्रैच) की व्यवस्था करने, बीएससी करके नौकरी में आई नर्सों को एमएससी करने के लिए दो साल का शैक्षिक अवकाश देने पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे लेकर आज तक शासनादेश जारी नहीं किया गया।

कहां कितने पद खाली

मेडिकल कॉलेजों में				अस्पतालों में			
पदनाम	पद	भरे	खाली	पदनाम	पद	भरे	खाली
नर्सिंग अधीक्षक	39	00	39	मुख्य नर्सिंग अधि.	1	00	1
उप नर्सिंग अधी.	27	00	27	नर्सिंग अधीक्षक	3	00	3
सहा. नर्सिंग अधी.	88	00	88	उप नर्सिंग अधी.	6	00	6
नर्सिंग अफसर	8144	1577	6567	नर्सिंग अफसर	8113	4856	3257

आपत्तियां निस्तारित, ईको सेंसटिव जोन की एक्सपर्ट कमिटी ने दी स्वीकृति

पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनेगा ईको सेंसटिव

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : पीलीभीत टाइगर रिजर्व के ईको सेंसटिव जोन को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद ईको सेंसटिव जोन की एक्सपर्ट कमिटी की बैठक में इसको स्वीकृति दे दी गई। अब टाइगर रिजर्व के आसपास तय दायरे में कई व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाएंगी। वहीं, कुछ गतिविधियां सीमित कर दी जाएंगी।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप के कारण कई दिक्कतें आ रही थीं। यहां मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। इसे देखते हुए टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इसके आसपास ईको सेंसटिव जोन बनाने का प्रस्ताव भेजा था। उसे वन विभाग मुख्यालय और प्रदेश सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। उसके बाद चार आपत्तियां आई थीं। इन पर विचार के बाद इन्हें खारिज कर दिया गया। उसके बाद नई दिल्ली में हुई एक्सपर्ट कमिटी की बैठक में ईको सेंसटिव जोन को मंजूरी दे दी गई। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस बारे में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह बताते हैं कि कमिटी ने स्वीकृति दे दी है। अब नोटिफिकेशन का इंतजार है।

NBT Lens खबरों के अंदर की बात

कैसे बनेगा ईको सेंसटिव जोन?

ईको सेंसटिव जोन का दायरा पीलीभीत जिले में टाइगर रिजर्व के बाहर दो किलोमीटर तक तय किया गया है। वहीं, शाहजहांपुर की तरफ एक किलोमीटर का दायरा ईको सेंसटिव जोन में आएगा। चूंकि इससे नेपाल और उत्तराखंड की सीमा भी लगती है। ऐसे में उधर कोई दायरा तय नहीं हो सका है। अब ईको सेंसटिव जोन में खनन और ईंट-भट्ठे जैसे उद्योग पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। अन्य छोटे लघु उद्योगों और छोटे रिसॉर्ट के लिए भी अनुमति लेनी जरूरी होगी।

TOI

ब्रेकिंग न्यूज़

हर बड़ी खबर का तेज और भरोसेमंद अपडेट

लाइव अपडेट्स

हर समय अपडेट

24x7 ब्रेकिंग न्यूज़

TOI ऐप डाउनलोड करें

बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय: "स्टार हाऊस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, फोन: 0522–2721512

चल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

ऋणी व जमानतकर्ता को विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित ऋण प्रदाता बैंक द्वारा बंधक/प्रभारित चल सम्पत्ति का बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है। बन्धक सम्पत्ति की बिक्री "जो है जैसी है" की स्थिति में है, 'दायित्व रहित' के आधार पर की जायेगी।

ईएमडी/दावाधेय जमा करने की अंतिम तिथि-27.07.2026, सायं 05:00 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 28.07.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता का नाम व पता/देय राशि/शाखा	वाहन का विवरण	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अंतिम समाप्ति (₹)
1.	मेसर्स एसआरएन इंडस्ट्रीज (पार्टनर्शिप फर्म) फर्म का पता 1) गाटा संख्या 239, ग्राम केवाड़ी, परगना एवं तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी–225003 फर्म का पता 2) 4/169, विजयंत खंड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010 फैक्ट्री का पता) 690, मधुर विहार कॉलोनी, ओवरी, बाराबंकी–225001 पार्टनर 1) श्री शैलेश उपाध्याय, पता– 639/5, ठाकुर विहार कॉलोनी, पिक्निक स्पॉट रोड, फरीदीनगर, इंदिरानगर, लखनऊ–226015 पार्टनर 2) श्री नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पता– सी–1361/3, इंदिरानगर, लखनऊ–226016 पार्टनर 3) श्रीमती रचना उपाध्याय, पता– 639/5, ठाकुर विहार कॉलोनी, पिक्निक स्पॉट रोड, फरीदीनगर, इंदिरानगर, लखनऊ–226015 ₹ 10,99,946.00 + देय ब्याज एवं व अन्य खर्च शाखा: आस्ति वसूली शाखा, लखनऊ	पंजीकरण सं. UP32ML2225 पंजीकरण दिनांक–24.11.2021, मेक–महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मॉडल–एसयूवी 700, चेसिस सं. MA1NE2ZF8M6K14511, इंजन सं. ZFM4K52835	₹ 11,25,000/– ₹ 1,12,500/–

1. बिक्री के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया https://www.bankofindia.bank.in/e-auction.htm एवं www.baanknet.com ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट–www.baanknet.com में दिए गए लिंक को देखें। साथ ही, संभावित बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से ऊपर दिए गए दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। 2. सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है, जैसे है" व "जो है, जैसे है" के आधार पर होगी। 3. सफल बोलीकर्ता को नियमानुसार देय खर्च / शुल्क जैसे स्टैम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि स्वयं वहन करना होगा। 4. विक्रय की जाने वाली वस्तुओं पर किसी भी प्रकार के कर तथा किसी भी प्रकार के सरकारी अथवा अन्य बकाये हेतु प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। 5. बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास आरक्षित है। 6. इच्छुक निविदाकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया से अनुमति तकर दिनांक 30.06.2026 से 27.07.2026 तक प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के मध्य कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिये प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया अस्ति वसूली विभाग, "स्टार हॉउस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से सम्पर्क करें। 7. क्रेता को वाहन बैंक के परिसर से पूरा पैसा जमा करने की तिथि से 5 दिन के अन्दर उठाना होगा, अन्यथा रूपये 500/– प्रतिदिन की दर से किराया वसूला जायेगा। 8. परिवहन विभाग में वाहन के हस्तान्तरण, / पंजीकरण / संबंधी तथा अन्य कार्य व उनका भुगतान क्रेता को स्वयं वहन करना होगा तथा वाहन पर अन्य भार को भुगतान व बीमा राशि भी क्रेता को ही वहन करना होगा। 9. यह प्रकाशन बकाया सम्पत्तियों के उपारकर्ता / बंधककर्ता अथवा जमानतकर्ता को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास आरक्षित है। 10. इच्छुक निविदाकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया से अनुमति तकर दिनांक 30.06.2026 से 27.07.2026 तक प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के मध्य कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिये प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया अस्ति वसूली विभाग, "स्टार हॉउस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से सम्पर्क करें। 7. क्रेता को वाहन बैंक के परिसर से पूरा पैसा जमा करने की तिथि से 5 दिन के अन्दर उठाना होगा, अन्यथा रूपये 500/– प्रतिदिन की दर से किराया वसूला जायेगा। 8. परिवहन विभाग में वाहन के हस्तान्तरण, / पंजीकरण / संबंधी तथा अन्य कार्य व उनका भुगतान क्रेता को स्वयं वहन करना होगा तथा वाहन पर अन्य भार को भुगतान व बीमा राशि भी क्रेता को ही वहन करना होगा। 9. यह प्रकाशन बकाया सम्पत्तियों के उपारकर्ता / बंधककर्ता अथवा जमानतकर्ता को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास आरक्षित है। 10. इच्छुक निविदाकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया से अनुमति तकर दिनांक 30.06.2026 से 27.07.2026 तक प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के मध्य कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिये प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया अस्ति वसूली विभाग, "स्टार हॉउस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से सम्पर्क करें। 7. क्रेता को वाहन बैंक के परिसर से पूरा पैसा जमा करने की तिथि से 5 दिन के अन्दर उठाना होगा, अन्यथा रूपये 500/– प्रतिदिन की दर से किराया वसूला जायेगा। 8. परिवहन विभाग में वाहन के हस्तान्तरण, / पंजीकरण / संबंधी तथा अन्य कार्य व उनका भुगतान क्रेता को स्वयं वहन करना होगा तथा वाहन पर अन्य भार को भुगतान व बीमा राशि भी क्रेता को ही वहन करना होगा। 9. यह प्रकाशन बकाया सम्पत्तियों के उपारकर्ता / बंधककर्ता अथवा जमानतकर्ता को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास आरक्षित है। 6. इच्छुक निविदाकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया से अनुमति तकर दिनांक 30.06.2026 से 27.07.2026 तक प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के मध्य कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिये प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया अस्ति वसूली विभाग, "स्टार हॉउस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से सम्पर्क करें। 7. क्रेता को वाहन बैंक के परिसर से पूरा पैसा जमा करने की तिथि से 5 दिन के अन्दर उठाना होगा, अन्यथा रूपये 500/– प्रतिदिन की दर से किराया वसूला जायेगा। 8. परिवहन विभाग में वाहन के हस्तान्तरण, / पंजीकरण / संबंधी तथा अन्य कार्य व उनका भुगतान क्रेता को स्वयं वहन करना होगा तथा वाहन पर अन्य भार को भुगतान व बीमा राशि भी क्रेता को ही वहन करना होगा। 9. यह प्रकाशन बकाया सम्पत्तियों के उपारकर्ता / बंधककर्ता अथवा जमानतकर्ता को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास आरक्षित है। 10. इच्छुक निविदाकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया से अनुमति तकर दिनांक 30.06.2026 से 27.07.2026 तक प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के मध्य कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिये प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया अस्ति वसूली विभाग, "स्टार हॉउस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से सम्पर्क करें।

वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

ऋणी/जमानतकर्ता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी की तारीख से पहले उपरोल्लेखित राशि के साथ ब्याज एवं सहायक खर्चों का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति/वाहन की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली कर ली जाएगी ब्याज एवं लागत सहित।

दिनांक: 25.06.2026 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

इंडियन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Indian Bank (A Govt. of India Undertaking)

मण्डलीय कार्यालय लखनऊ: न्यू बिल्डिंग, द्वितीय तल, हजरतगंज, लखनऊ–226001

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)अधिनियम 2002 के नियम–8(1) के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की धारा 13(12) प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (प्रवर्तन) की सपठित नियम 3, 8 एवं 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी को मांग सूचना पत्र से नीचे दी गयी राशि 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋण–ग्रहिता/ जमानतकर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋण–ग्रहिता/जमानतकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्पारा सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 एवं 9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्नलिखित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। ऋण–ग्रहिता/जमानतकर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्व–साधारण को सामान्य रूप से एतद्पारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय–विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय–विक्रय इंडियन बैंक के अधीन रहेगा।

उधारकर्ता/जमानतकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना इस अधिग्रहण के आयोजन के सम्बन्ध में कर्जदारों, जमानतकर्ताओं और बंधककर्ताओं को बकाया जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण निम्नुसार हैं:–

क्र. सं.	ऋणी/प्रोपराइटर/जमानतकर्ता/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा की तिथि / बकाया धनराशि
शाखा: FODS			
1.	1. श्